दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2018/5985 दिनांक : 03.02.2018

सेवा में,

1. प्रो0 राजीव मनोहर, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ वि0वि0, लखनऊ।
2. प्रो0 एम0पी0 सिंह, इतिहास विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध वि0वि0, फैजाबाद।
3. प्रो0 नवीन खरे, रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ वि0वि0, लखनऊ।
4. डॉ0 एल0के0 मिश्रा, प्राचार्य, गौतम बुद्व राजकीय कालेज, दर्शननगर, फैजाबाद। 9450570791

विषयः **ममता गर्ल्स डिग्री कालेज,असेनी रोड़, कुरौली, बाराबंकी को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल एवं मनोविज्ञान विषय तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषय** के शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीय सम्बद्धता प्रदान किये जाने के प्रकरण में अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिये स्थलीय जॉच कर आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करना है, कि उक्त महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के प्रकरण में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं की स्थलीय जॉच कर आख्या एवं संस्तुति देने हेतु कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षाणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

1. आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में महाविद्यालय का निरीक्षण मण्डल के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अपनी मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की विधिवत जॉच कर निरीक्षण आख्या तथा सम्बद्धता के प्रकरण में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति एक प्रतियों में स्वयं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **निरीक्षण आख्या या उसकी कोई प्रति किसी भी स्थिति में महाविद्यालय को नहीं दी जाये। विश्वविद्यालय में सीलबन्द लिफाफे में निरीक्षण आख्या निरीक्षण मण्डल द्वारा या निरीक्षण मण्डल के किसी सदस्य द्वारा स्वयं प्राप्त कराई जायेगी।** यह भी सूच्य है कि निरीक्षण मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जोयगा तथा संयुक्त फोटोग्राफ कराया जाये तथा निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ पर स्पष्ट एवं पठनीय हस्ताक्षर तिथि सहित किये जाये। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण मण्डल महाविद्यालय के भवनों (प्रत्येक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, अन्य कक्षों यथा प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, मीटिंग कक्ष एवं चहारदीवारी गेट सहित आदि) के साथ अपनी फोटो भी खिंचवायेंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना होगा। निरीक्षण आख्या के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके समस्त संलग्नकों पर निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें। निरीक्षण आख्या की पेज नम्बरिंग अवश्य करा दी जाय तथा निरीक्षण आख्या में स्थलीय निरीक्षण की तिथि स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित की जाय। महाविद्यालय के निर्मित भवन की फोटोग्राफी जो निरीक्षण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो तथा निरीक्षण आख्या प्रारूप में अपेक्षित दण्डात्मक कार्यवाही सम्बन्धी अण्डरटेकिंग (Undertaking) देना अनिवार्य है।

2. निम्न लिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल को अपनी स्पष्ट तथ्यात्मक आख्या एवं संस्तुति सुसंगत अभिलेखों के के साथ देना अनिवार्य है–

1. निरीक्षण तिथि।
2. **उपरोक्त नामित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भली–भॉति सुनिश्चित कर लें कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय के प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध तंत्र के सदस्य तो नही हैं। यदि ऐसा है तो उपरोक्तानुक्रम में अपना अस्वीकृत पत्र शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की दशा में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।**
3. महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति के पंजीकरण की संख्या व दिनांक एवं उसकी वैधता की तिथि।
4. मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति जो तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित हो संलग्न की जाय।
5. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण–पत्र मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/उपजिलाधिकारी) से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/उपजिलाधिकारी) से प्रमाणित हो उसे संलग्न किया जाय। जिनमें महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित सम्पूर्ण भूमि का स्पष्ट विवरण विभिन्न गाटाओं के नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल के साथ स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
6. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश की संख्या एवं तिथि अंकित किये जायें तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय भवन निर्मित है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से रू0 10/– के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाय कि महाविद्यालय उसी भूमि तथा गाटा संख्या पर निर्मित है जिनपर महाविद्यालय स्थापना हेतु एन0ओ0सी0 दी गई है। अनापत्ति पत्र एवं अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात यदि किसी महाविद्यालय द्वारा मानक के अतिरिक्त अधिक भूमि बढ़ा ली गयी है तो उसका निरीक्षण आख्या में गाटा संख्या तथा क्षेत्रफल के साथ स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
7. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थिति होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता/नगरपालिका अध्यक्ष/ग्रामप्रधान) का मूल प्रमाण पत्र निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न किया जाये।
8. सोसाइटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय के सम्बन्ध में संस्था की विगत 03 वर्षों की चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत/ प्रमाणित बैलेंश शीट अथवा सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण तीन वर्ष से कम होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।
9. बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एवं एम0पी0एड0 पाठ्यक्रमों की अतिरिक्त यूनिट हेतु मानकानुसार पृथक से अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं अध्यापकों के विश्वविद्यालय से अनुमोदन एवं नियुक्ति की स्थिति।
10. संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष व अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्त होने तथा उनके वेतन भुगतान बैंक से होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षक का शपथ पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बैंक मैनेजर का मुहरयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

11. दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
12. राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही मान्य किया जायेगा।
13. अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यावधिक होना चाहिए ।
14. शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के अनुसार सर्म्पक मार्ग की चौडाई के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहियें।
15. महाविद्यालय की सम्बद्धता के मानकों के निर्धारण हेतु जारी शासनादेश सं0: 3075/सत्तर– 2–2002– 2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश सं0: 3411/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश सं0: 585 मु0म0/सत्तर–2–2005–(166)/2002 दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश सं0: 743मु0म0/ सत्तर–2–2002–2(166)/2006 दिनांक 07 नवम्बर, 2006, के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।
16. अग्रेत्तर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के समय अद्यतन सम्बद्धता सम्बन्धी समस्त शासनादेशों को निरीक्षक मण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करा लेंगे/कर लेंगे कि कोई संगत शासनादेश समिति के समक्ष उपस्थित होने से छूट न जाय।
17. महाविद्यालय की स्थापना/पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन का क्षेत्रफल एवं उपलब्ध सभी कक्षों की कुल संख्या एवं उनकी माप वर्गमीटर में ही अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
18. महाविद्यालय भवन में यदि कोई भी कक्ष एसवेस्टस (Asbestos) द्वारा निर्मित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
19. प्रबन्ध समिति तथा शिक्षक अनुमोदित है कि नही, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। यदि नही तो महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि वह अनुमोदन करा ले जिससे सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकें।
20. बिजली की व्यवस्था होने की स्थिति में विद्युत पावर कार्पोरेशन का बिल संलग्न करें यदि नही तो जनरेटर से विद्युत व्यवस्था होने की दशा में जनरेटर की लॉग बुक संलग्न करें।
21. छात्राओं के रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में छात्रावास के कक्षों का विवरण स्पष्ट रूप सें अंकित किया जाये।
22. जिन महाविद्यालयों को प्रपत्र बी पर अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है उनके प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति यदि महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तो उसका भी अंकन निरीक्षण आख्या में अनिवार्य रूप से किया जाय।
23. नवीन महाविद्यालय/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन विषयों/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु शासनादेश संख्या–522/ सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक: 30.04.2013 के अनुसार यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होना अनिवार्य है तथा इसके सम्बन्ध में समिति स्पष्ट आख्या भी दे।
24. **निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के भवनों (प्रत्येक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, अन्य कक्षों यथा प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, मीटिंग कक्ष एवं चहारदीवारी गेट सहित आदि) की वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा निरीक्षण आख्या के साथ एक सी0डी0 संलग्न की जायेगी।**
25. **पूर्व संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उनके प्रयोगार्थ अलग–अलग व्याख्यान कक्षों/प्रयोगशालाओं का स्पस्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में किया जाय।**

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना निरीक्षण मण्डल का दायित्व होगा।

निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या में अण्डरटेकिंग का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि "मैं सत्यापित करता हूं कि निरीक्षण आख्या में जो संस्तुति की गयी है वह सत्य है तथा यदि कोई सूचना असत्य/गलत पायी गई तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होऊंगा।"

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण दल समस्त व्यय जिसमें टी0ए0/डी0ए0 एवं अन्य व्यय सम्मिलित है का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा इन व्ययों को सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं प्रबन्धक व महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी सुविधा का उपयोग नहीं करेगें। निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या निरीक्षण के दिन ही निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षक मण्डल द्वारा संलग्न प्रारूप के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट एवं तथ्यात्मक आख्या दी जाय। निरीक्षण के समय सम्बद्धता के मानको से सम्बन्धित कोई कमियों महाविद्यालय में पायी जाये तो उनका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में दर्शाया जाये।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

प्रबन्धक, (प्रबन्ध समिति) **ममता गर्ल्स डिग्री कालेज,असेनी रोड़, कुरौली, बाराबंकी** को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार)
कुलसचिव